भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 171

उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

वन भूमि से विस्थापन

*171. श्री राजकुमार रोतः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में लंबित मामलों में आवेदकों को वन भूमि से विस्थापित नहीं किए जाने का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपबंधों के बावजूद लंबित मामलों के आवेदकों को कई क्षेत्रों से विस्थापित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वन विभाग अथवा अन्य सरकारी तंत्र द्वारा मामलों के लंबित होने के बावजूद राज्य-वार, वर्ष-चार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के देवास जिले में नाम-वार कितने आवेदकों को अपने घरों से विस्थापित किया गया है और उनकी संपत्तियां हटाई गई हैं;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) वर्तमान में देश भर में एफआरए के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के दावे और कितने सामुदायिक दावे लंबित/अस्वीकृत हैं; और

(च) देश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बाघ परियोजना, वन क्षेत्रों और अन्य परियोजना क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके लिए कितने पट्टे जारी किए गए हैं, कितने आवेदन लंबित हैं और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"वन भूमि से विस्थापन" के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): 2006 में अधिनियमित ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम'' (संक्षेप में, एफआरए) की धारा 3 (1) में वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी के सदस्य या सदस्यों, जिन्हे धारा 2 (ग) और 2 (ण) में परिभाषित किया गया है, द्वारा आवास या आजीविका हेतु स्वयं की खेती के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि को रखने और उसमें रहने के अधिकार सहित वन अधिकारों को निहित करने का प्रावधान है। एफआरए की धारा 4 (5) में कहा गया है कि "जैसा कि अन्यथा प्रावधान किया गया है, वन निवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी के किसी भी सदस्य को मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल किया या हटाया नहीं जाएगा।" इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन अधिकार धारकों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 4, उप-धारा (2) में उल्लिखित कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

(ख) और (ग): लंबित आवेदकों के विस्थापित होने के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बाघ अभयारण्यों के मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ क्षेत्रो से विस्थापित हुआ हो, लोगों की स्वतंत्र और सूचित पूर्व सहमति ली जाती है तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निहित स्वैच्छिकता के अनुरूप राज्यों द्वारा उचित सावधानी बरती जाती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देवास जिले में कुल 9238 दावे (व्यक्तिगत-8762 और समुदायिक-476) प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 4869 (52.70%) मालिकाना हक (अधिकार पत्र) वितरित किए गए हैं, 4368 (47.28%) दावे खारिज कर दिए गए हैं, और 1 दावा लंबित है। इसलिए, मध्य प्रदेश के देवास जिले में 99.98% दावों का निपटान किया जा चुका है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ): राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभा स्तर पर कुल 51,57,332 दावे दायर किए गए हैं, जिनमें 49,44,101 व्यक्तिगत और 2,13,231 सामुदायिक दावे शामिल हैं। इनमें से कुल 25,14,774 (48.76%) अधिकार पत्र वितरित किए गए, जिसमें 23,92,545 व्यक्तिगत और 1,22,229 सामुदायिक अधिकार पत्र शामिल हैं। कुल 18,73,738 (36.33%) दावों को खारिज कर दिया गया है और कुल 7,68,820 दावे निर्णय के लिए लंबित हैं। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(च): बाघ परियोजना, वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन और अन्य परियोजना क्षेत्रों के लिए एफआरए के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, उक्त जानकारी भारत सरकार के स्तर पर एकत्रित नहीं की जाती है क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक पुनर्वासन प्रक्रिया की निगरानी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति और एक जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का प्रावधान करते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 171 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिनांक 31.10.2025 तक राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और स्वामित्व विलेखों (अधिकार पत्रों) के वितरण और अस्वीकार किए गए दावों का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 31.10.2025 तक प्राप्त दावों की संख्या			दिनांक 31.10.2025 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या	
		व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक
1	आंध्र प्रदेश	285,115	3,294	288,409	226,667	1,822	228,489	56925	1470
2	असम	148,965	6,046	155,011	57,325	1,477	58,802	0	0
3	बिहार	4,696	0	4,696	191	0	191	4496	0
4	छत्तीसगढ़	890,220	57,259	947,479	481,432	52,636	534,068	403129	3658
5	गोवा	9,958	388	10,346	1,027	19	1,046	702	1178
6	गुजरात	183,055	7,187	190,242	98,732	4,792	103,524	0	2331
7	हिमाचल प्रदेश	4,981	683	5,664	755	146	901	52	2
8	झारखंड	107,032	3,724	110,756	59,866	2,104	61,970	26370	1737
9	कर्नाटक	289,236	5,940	295,176	15,355	1,345	16,700	258109	4270
10	केरल	44,455	1,014	45,469	29,422	282	29,704	12668	296
11	मध्य प्रदेश	585,326	42,187	627,513	266,901	27,976	294,877	310216	12191
12	महाराष्ट्र	397,897	11,259	409,156	199,667	8,668	208,335	170487	2144
13	ओडिशा	732,751	36,637	769,388	464,288	9,352	473,640	145762	578
14	राजस्थान	113,162	5,213	118,375	49,215	2,551	51,766	63466	2455
15	तमिलनाडु	33,119	1,548	34,667	15,442	1,066	16,508	12293	418
16	तेलंगाना	651,822	3,427	655,249	230,735	721	231,456	92744	1682
17	त्रिपुरा	200,557	164	200,721	127,931	101	128,032	68785	63
18	उत्तर प्रदेश	92,972	1,194	94,166	22,537	893	23,430	70435	301
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	3403	3090
20	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	44,444	686	45,130	87333	9254
21	जम्मू एवं कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	32727	7197
कुल		**4,944,101**	**213,231**	**5,157,332**	**2,392,545**	**122,229**	**2,514,774**	**1,820,578**	**53,160**

*****